

14.6.2014

अनुसूचित परिच्छेद उपविभागा प्रजासूची का अन्वेषण  
विषय 118 प्रजासूची पर उपलब्ध रिपोर्टें एवं  
संश्लेषण राक्षस शकलकां की रिपोर्ट करी के  
आधार पर प्रायतः का प्राचीन स्वीकार किया जाता है,  
पूर्व विवरण सहित प्रत्येक अल्प से लियाया जाकर  
शामिल कार्यल किया जावे। प्रजासूची नाम से का  
की जाकर काठ तरीक तकनीक जाकर काठिल परतल  
हो।



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

क्रमांक/रीडर/2024/277

दिनांक 14.6.2024

तहसीलदार राजस्व  
रावतसर

मुकदमा संख्या : 15/2020 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :-

1. प्रेम पुत्र स्व. श्री श्योकरण जाति बावरी निवासी चक 2 के.बी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भैराराम पुत्र स्व. श्री श्योकरण जाति बावरी उम्र 49 वर्ष निवासी चक 2 के.बी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. सुपारीदेवी पत्नी स्व. श्री श्योकरण जाति बावरी निवासी चक 2 के.बी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र स्व. श्री हरुराम जाति बावरी निवासी चक 2 के.बी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. चेताराम पुत्र स्व. श्री हरुराम जाति बावरी निवासी चक 2 के.बी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 14.06.2024 को निर्णय करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुन की चक 2 के.बी.एम. के प.न. 132/404(41) के किला न. 4, 7 व प.न. 132/405(49) के किला न. 7, 14 तथा अप्रार्थी संख्या 2 चेताराम की चक 2 के.बी.एम. के प.न. 132/404(41) के किला न. 14, 17, 24 व प.न. 132/405(49) के किला न. 4 के पश्चिमी सीव पर उत्तर से दक्षिण प्रत्येक किला में 0.013 है. भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर से दोगुना राशि अदा करेगें। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं  
सुपखण्ड अधिकारी राजस्व  
उपखण्डरावतसर  
रावतसर